आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या..........वर्ष 2021)

आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम में संशोधन

2. आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012(जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में:–

(i) "इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज" शब्द के स्थान पर जहां–जहां वे आते हैं "यूनिसन एजुकेशन फाउंडेशन" शब्द रखे जाऐगें;

(ii) "21 न्यू कैन्ट रोड़, हाथीबड़कला, देहरादून–248001" अंक, शब्द और चिह्न के स्थान पर "तृतीय तल, प्रशासनिक ब्लॉक, आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय, ग्राम मक्कावाला, उत्तराखण्ड–248009" शब्द, अंक और चिह्न रख दिये जायेगें।

व्यावृत्ति

3. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

Objectives and Reasons

For the purpose to encourage, promote and establish the educational institutions under the banner of Unison Education Foundation Promoting Society of the IMS Unison University change its name Unison Education Foundation; it is expedient to amend the name of the sponsoring body of said University.

2- Proposed Bill fulfills the above objectives.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister

The IMS UNISON UNIVERSITY (Amendment) Bill, 2021
(Uttarakhand Bill No. ...... of 2021)

A
Bill

further to amend the IMS Unison University Act, 2012.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy-Second Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the IMS Unison University (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

Amendment in the Act

2. In the IMS Unison University Act, 2012 (hereinafter referred to as the principal Act) :-

(i) For the words "Institute of Management Studies" wherever they occur, the words "Unison Education Foundation" shall be substituted.

(ii) For the figure, words and signs "21 New cantt Road, Hathibarkala, Dehradun 248001" the words, figure and signs "Third Floor, Administrative Block, IMS Unison University, Village Makkawala, Uttarakhand-248009" shall be substituted.

Saving

3. Notwithstanding such amendment anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

खण्डवार ज्ञापन

1. विधेयक के खण्ड 1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ के विषय में व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
2. विधयेक के खण्ड 2 में प्रायोजिक संस्था के नाम एवं पते में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
3. प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 3 में व्यावृत्ति हेतु उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

डा0 धन सिंह रावत
मंत्री

विधायी शक्तियों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 को संशोधित किये जाने विषयक है।

2– प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

डा0 धन सिंह रावत
मंत्री

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 का संशोधन मात्र है।

2— प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी भी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अन्तर्निहित नहीं है।

डा0 धन सिंह रावत
मंत्री

प्रस्ताव

विधान सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 205 सपठित अनुच्छेद 203 के अधीन अनुपूरक अनुदान मांगों को स्वीकृत कर दिये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य की संचित निधि में से विधान सभा द्वारा इस प्रकार स्वीकृत किये गये अनुदान मांगों की और राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसरण में यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री